**अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2021 (RCMS 2020/91) (RTI No. 212739534560475) आदित्य गुप्ता पुत्र श्री आई.पी. गुप्ता, वार्ड नं 2, नजदीक यूको बैंक, हनुमानगढ टाउन, हनुमानगढ– 335513 बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**22.09.2021**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** आदित्य गुप्ता उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2021 से श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार को प्रेषित किया था परन्तु प्रथम अपील में अंकित सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण उन्होने अपने पत्रांक F.12(2)(RTI-(1st Appp1-5/21)/Elec./21/3286 जयपुर दिनांक 30.06.2021 से इस कार्यालय को भिजवाई है। अपीलार्थी ने दिनांक 04.05.2021 को जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

**अपीलार्थी दिनांक 04.08.2021** को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में उपस्थित हुआ और उसके द्वारा वांछित सूचना में से क्रम संख्या क व ग की सूचना बकाया को दिलवाने की प्रार्थना की।

**पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना च[illegible]

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

 अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2021

निवेदन है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 3556 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा आपके कार्यालय में कम्प्यूटर/स्केनर/कम्प्यूटर फर्नीचर के क्रय हेतु एक निविदा जारी की गयी थी जो कि दिनांक 23.08.2018 को खोली गयी थी। इसके पश्चात इस निविदा में लेजर प्रिंटर, कम्प्यूटर चेयर एवं कम्प्यूटर टेबल में न्यूनतम दर वाली फर्म श्री कम्प्यूटर्स, हनुमानगढ को आपके पत्र क्रमांक 7401 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था इस सम्बन्ध में कृपया जानकारी देवें कि

क. उपरोक्त कार्यादेश श्री कंप्यूटर्स को किस प्रकार (रजि. डाक अथवा कोरियर अथवा ईमेल या by hand) एवं किस दिनांक को भेजा गया, संबंधित रसीद एवं री कम्प्यूटर्स से पावती की प्रति उपलब्ध करवाएं।

ख. उक्त कार्यादेश की राशि 5 प्रतिशत धरोहर राशि रू. 39731/– थी, जिसे पूर्व में जमा धरोहर राशि रू. 38500/– के समायोजन के पश्चात शेष राशि रू. 1731/– दिनांक 03.10.2018 को नगद जमा करवाई गयी थी। इस नगद राशि के एवज् में आपके वि[illegible] जारी की गयी रसदी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

ग. श्री कंप्यूटर्स के पत्र क्रमांक SC/2019/1149/AG दिनांक 20.01.2019 एवं क्रमांक SC/2019/1201/AG दिनांक 03.10.2019 के द्वारा आपको उनके ,रा जमा करवाई गयी धरोहर राशि कुल रू. 40,231/— को लौटाने का आग्रह किया गया था। उक्त दोनों पत्रों (धरोहर राशि को लौटाने के बाबत) का आपके कार्यालय के रिसिप्ट रजिस्टर में अंकित रिसिप्ट संख्या व दिनांक उपलब्ध करवाएं।

घ. क्रम संख्या (ग) में संदर्भित पत्रों के संदर्भ में आपके कार्यालय के द्वारा की गई कार्यवाही मय कार्यालय नोटशीट की प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

ड. कृपया जानकारी देवें कि क्रम संख्या (ख) में संदर्भित क्या सम्पूर्ण धरोहर राशि रू. 40,231/— श्री कम्प्यूटर्स को लौटा दी गयी है अथवा नहीं।

(च) यदि लौटा दी गयी है तो कितनी राशि कितनी दिनांक को किस प्रकार से लौटाई गयी है कृपया जानकारी देवें।

(छ) यदि उपरोक्त सम[illegible] नहीं लौटाई गयी है तो [illegible] कृपया जानकारी उपलब्ध करवाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने** पत्रांक 661 दिनांक 26.05.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आपके द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
>
> **संलग्न : उक्तानुसार।**
>
> -sd-
>
> उप जिला निर्वाचन अधिकारी
> श्रीगंगानगर

**अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का उत्तर** उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **द्वारा अपने पत्रांक 661 दिनांक 26.05.2021 द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर निकालना और ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है जबकि लोक सूचना अधिकारी को इस पर स्पष्ट निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को वांछित अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और जो सूचनाएं निश्चित अभिलेख के रूप में उपलब्ध हो वे आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा देवें।

**अतः उक्त विवेचन** के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर